राजस्व वाद संख्या 152/2021
दीपादेवी बनाम उकाराम वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— **अशोक कुमार, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :— **152/2021**
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— **2021/404**

वादीनी **बनाम** **प्रतिवादी**

वादीनी	प्रतिवादी
दीपादेवी पुत्री खेताराम पत्नि रामचन्द्र जाति खारवाल निवासी पचपदरा व तहसील पचपदरा जिला बालोतरा	1.उकाराम पुत्र खेताराम 2.भंवराराम पुत्र खेताराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा व जिला बालोतरा 3.नीलम चौहान पत्नि देवीलाल कौम खारवाल निवासी जयनारायण व्यास कोलानी बीकानेर 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थिति—</u>

1. श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता वादीनी
2. श्री विरेन्द्रसिंह महेचा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. प्रतिवादी संख्या 03 व 4 एकतरफा।

:—निर्णयः—

दिनांक 13/02/2026

1.संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम कलावा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 276 रकबा 35 बीघा भूमि खेता पुत्र प्रभू कौम खारवाल की खातेदारी में दर्ज हुई थी। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुतवफी खेताराम के जायन्दा संतान है। इस प्रकार पुश्तैनी भूमि में खेताराम के तीन संतान का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा निहित हो गया था। खेताराम के फौत होने पर उसके जायंदा तीन संतान के नाम नामान्तकरण भरने के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत करते हुए अपने नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज करवा दी गई और वादीनी को उसके हक हकूको से महरूम रखा गया। अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर माफिक वादपत्र अनुतोष वाद डिक्री करवाने हेतु वाद पेश किया गया है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2.वादीनी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादी के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाव पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी अधिवक्ता को उपस्थित होने व सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित की गई।

3.प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण विवाद के विन्दु निहित नही होने के कारण वादीनी के वादपत्र का वांछित अनुतोष को ही तनकीयात मानी जाकर तनकीयात कायम की गई। वादीनी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1–दीपादेवी,पी.डब्ल्यू 2–रामचन्द्र व पी.डब्ल्यू 3–विशनाराम की ओर से बयानत कलमबद्व करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1–वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी,प्रदर्श 2–नक्शा प्रति,प्रदर्श 3–वादग्रस्त भूमि की चौसाला जमावंदी संवत 2025–2028 प्रमाणित प्रति व प्रदर्श 4–नामान्तकरण संख्या 218 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए। तत्पश्चात वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादग्रस्त भूमि के संबध में राजीनामा पेश किया गया,जो बाद तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया।

4.उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वादीनी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम कलावा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 276 रकवा 35 बीघा भूमि खेता पुत्र प्रभू कौम खारवाल की खातेदारी में दर्ज हुई थी। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुतवफी खेताराम के जायन्दा संतान है। इस प्रकार पुश्तैनी भूमि में खेताराम के तीन संतान का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा निहित हो गया था। खेताराम के फौत होने पर उसके जायंदा तीन संतान के नाम नामान्तकरण भरने के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत करते हुए अपने नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज करवा दी गई और वादीनी को उसके हक हकूको से महरूम रखा गया। जबकि वादीनी का अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन राजस्व रेकर्ड में नाम नही होने के कारण वादीनी की ओर से खातेदारी घोषणा करवाने का वाद पेश किया गया है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 02 के मध्य राजीनामा होने के कारण राजीनामा पेश किया गया,जो बाद तस्दीक करवाया गया,अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही है। अंत राजीनामा अनुसार वादीनी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

5.प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। अंत राजीनामा अनुसार वादीनी का वाद डिक्री किए जाने पर आपत्ति नही है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व बयानात एवं राजीनामा का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम कलावा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 276 रकबा 35.00 बीघा भूमि खेता पुत्र प्रभू कौम खारवाल सा.पचपदरा साल्ट के नाम जमाबंदी संवत 2025—2028 तक मे दर्ज है,जो प्रदर्श 3 अवलोकन से स्पष्ट है। खेता के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि में फौतदगी नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं सुआ के नाम पारित हुआ,जबकि उक्त वारिसान के साथ वादीनी का भी नामान्तकरण में नाम दायर होना चाहिए था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीनी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार बनने की हकदार है। चूंकि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया गया,जो दिनांक 13.11.2025 को बाद तस्दीक पत्रावली में शामिल किया गया। राजीनामा के अनुसार खेताराम के वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वारिसान है,जो सगे भाई बहिन है। खेताराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 276 रकबा 35 बीघा भूमि सरहद मौजा कलावा में अवस्थित है,जिसके वर्तमान खसरा संख्या 747/276 है। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सगे भाई बहिन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने हक हिस्से मे से 4—4 बीघा भूमि कुल रकबा 8.00 बीघा भूमि वादीनी को हिस्से में देना तय किया है। राजीनामा द्वारा उभय पक्षकारान दावा डिक्री करवाने पर रजामंद है। न्यायालय हाजा को भी राजीनामा के अनुरूप वादीनी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है,क्योकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण वादीनी का हक हकूक बनता है। ऐसी सूरत मे वादीनी का वाद माफिक राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादीनी अपना वाद पत्र स्वीकार करवाने मे सफल रहे है। ऐसी सूरत में वादीनी का वाद—पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—:निर्णयः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक् में निष्कर्षतः वाद—पत्र वादीनी अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कलावा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 747/276 भूमि में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार करार देते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक हिस्सा भूमि मे से 4—4 बीघा कम करते हुए उक्त भूमि कुल रकबा 8.00 बीघा वादीनी की खातेदारी मे घोषित की जाती है,तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे।

(अशोक कुमार) 13/2/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 13/2/2026 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

13/02/2026
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 152/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/404

वादीनी	बनाम	प्रतिवादी
दीपादेवी पुत्री खेताराम पत्नि रामचन्द्र जाति खारवाल निवासी पचपदरा व तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.उकाराम पुत्र खेताराम 2.भंवराराम पुत्र खेताराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा व जिला बालोतरा 3.नीलम चौहान पत्नि देवीलाल कौम खारवाल निवासी जयनारायण व्यास कोलानी बीकानेर 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–88,188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :–13.2.2026

वादीनी की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री विरेन्द्रसिंह महेचा अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 एकतरफा,इस वाद में आज तारीख 13.2.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**–वादीनी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीनी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कलावा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 747/276 भूमि में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार करार देते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक हिस्सा भूमि मे से 4–4 बीघा कम करते हुए उक्त भूमि कुल रकबा 8.00 बीघा वादीनी की खातेदारी मे घोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे।

यह आज तारीख 13.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

13/02/2026

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया –	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ------
जोड़	–	जोड़	-----

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा